Government Medical College Ratlam
विद्यया ऽमृतमश्नुते

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम
सैलाना रोड़, ग्राम बंजली, रतलाम (म0प्र)
ईमेल:- deanratlam@gmail.com वेबसाईट :- www.gmcratlam.org कार्यालय दूरभाष नंबर :- 07412-284225 पिनकोड :- 457001

DONATE ORGAN – SAVE LIFE
अंगदान करें – जीवन बचाएँ

क्रमांक 7123 / स्था / जी.एम.सी. / 2025 रतलाम, दिनांक :– 03.11.2025

// आदेश //

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल म.प्र. के पत्र क्रमांक 1199 / 2025 दिनांक 24.08.2025 एवं मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्र. / नर्सिंग / 2026 / 305 भोपाल दिनांक 11.06.2026 द्वारा नियुक्ति हेतु शैक्षणिक वर्ष 2019–20 में प्रवेशित बान्डेड नर्सिंग छात्राओं की चार वर्षीय बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की प्रावधिक सूची अनुसार दस्तावेज सत्यापन / परीक्षण समिति की अनुशंसा अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से नर्सिंग ऑफिसर, के रिक्त पद पर वेतनमान रूपये 28700 / – सातवें वेतनमान अनुसार (वेतन लेवल 7) में अनन्तिम रूप से आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है:–

क्र.	नाम	पिता / पति का नाम	चयनित श्रेणी	रिमार्क
1	2	3	4	5
01	SHIVANI PATIDAR	KAMAL	UR/X/F	–
02	VARSHA VISHWAKARMA	HEMRAJ VISHWAKARMA	UR/X/F	–
03	BHARTI RATHORE	RAJMAL RATHORE	UR/X/F	–
04	VIDYA	RAMESH CHANDRA	UR/X/F	–
05	VISHAKHA	VISHRAM	OBC/X/F	–
06	PRERNA ROJHA	SUKHA RAM ROJHA	OBC/X/F	–
07	SHIVANGI SONI	BASANT SONI	OBC/X/F	–
08	SAPNA RATHOR	BABULAL	OBC/X/F	–
09	SARITA PATIDAR	DILIP JI PATIDAR	OBC/X/F	–
10	KAVITA UIKEY	FATESINGH UIKEY	ST/X/F	–
11	SWATI KATARA	BHUR SINGH KATARA	ST/X/F	–
12	SANDHYA KHERIYA	BHARAT KHERIYA	ST/X/F	–
13	PRACHI MISHRA	ANIL KUMAR MISHRA	EWS/X/F	–
14	RASHIMI PADNEY	ARUN KUMAR PANDEY	EWS/X/F	–
15	SANDHYA GARWAL	PYAR SINGH GARWAL	ST/X/F	–

–:नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी :–

01. म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3–13 / 2019 / 3 / एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार इन्हें तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को प्रतिनियुक्ति / आपसी सहमति से स्थानांतरण नहीं किया जावेगा।
02. चयनित अभ्यर्थी को आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण करना अनवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
03. यह नियुक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण एवं अन्य याचिकाओं के संबंध में माननीय उच्चत न्यायालय / उच्च न्यायालय में दायर / दायर की जाने वाली याचिकाओं के निर्णय के अधीन होगी।
04. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं स्वस्थ्यता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा की स्थिति में किसी भी प्रकार से नियुक्ति मान्य नहीं होगी।
05. नियुक्त कर्मचारी पर म.प्र. सिविल सेवा आचारण नियम एवं शर्ते तथा म.प्र. शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
06. सामान्य भविष्य निधि / विभागीय भविष्य निधि के प्रावधान लागू नहीं होंगें। नियुक्त कर्मचारी को पेंशन की पात्रता नहीं होगी किंतु एन.पी.एस. की पात्रता होगी जो उनके मूल वेतन एवं महँगाई भत्ता से 10 प्रतिशत या जो भी शासन द्वारा निर्धारित हो परवर्तित दर से काटा जायेगा एवं नियमानुसार भाग स्वशासी संस्था द्वारा अपने अंशदान स्वरूप के रूप में देय होगा।
07. परिवीक्षा अवधि समाप्ति उपरांत अभ्यर्थी द्वारा त्यागपत्र दिया जाता है तो नियमानुसार 01 माह के वेतन तथा भत्ते के बराबर की राशि शासन को जमा कराना होगा।

निरंतर–02

Anila Mukher
DEAN & CEO
L.N.P. Govt. Medical College
Ratlam (M.P.)

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

08. आपकी सेवाएं किसी भी समय नियोक्ता द्वारा 01 माह का नोटिस देकर या उसके एवज में 01 माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी।
09. आपकी वरिष्ठता संस्था की वरिष्ठता सूची के अंतिम कम पर होगी।
10. इस नियुक्ति में आरक्षण संबंधी समस्त प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
11. आपकी नियुक्ति इस स्वशासी संस्था की सेवा शर्तों के अधीन होगी। संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
12. उपस्थिति दिनांक को सम्पूर्ण प्रमाण–पत्र, उपाधियाँ एवं अन्य प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियां जमा करना होगी तथा मूल प्रतियां प्रस्तुत करना होगी।
13. नियुक्त कर्मचारी को कार्यालय में मादक पदार्थों का सेवन वर्जित होगा। नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को राजनीतिक या किसी भी अवैध गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
14. नियुक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मान्य होगी।
15. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
16. शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तों में परिवर्तन किये जा सकते है यह परिवर्तन सेवा/वेतन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है।
17. नियुक्त अभ्यर्थी की भविष्य में यदि अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पायी जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी।
18. इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुए किसी भी अन्य संस्था में रोजगार के लिये सीधे आवेदन नही कर सकेंगें।
19. सक्षम अधिकारी की स्वीकृत के बिना अवकाश पर नही जा सकेगें।
20. म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) 1961 तथा मध्यप्रदेश शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
21. म.प्र. शासन, गृह विभाग की अधिसूचना की अधिसूचना क्र एफ 3597/2009/दो/सी–1, दिनांक 26/12/2010 द्वारा प्रदेश के सभी अस्पतालों तथा प्रदेश के सभी स्तरों के समस्त शासकीय चिकित्सालयों/औषधालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों /स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया गया है। अतः इनमें जुड़ा कोई भी अमला अपनी सेवायें देने से इंकार करने पर अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (एस्मा) अधिनियम, 1979 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
22. म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) 1961 के प्रावधान अनुसार 26 जनवरी 2001 के बाद 02 बच्चों से अधिक होने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
23. लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन 03 वर्ष कार्य करने के (परिवीक्षा अवधि के दौरान) लिए सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि म.प्र. शासन को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
24. पदस्थापना स्थल में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

(डॉ. अनिता मूथा)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय चिकित्सा हाविद्यालय
रतलाम (म0प्र)

क्रमांक : 7124 /स्था./जी.एम.सी./2025
रतलाम, दिनांक :– 03.01.2026

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल (म.प्र.)
02. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल मध्यप्रदेश (म.प्र.)।
03. अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम (म.प्र.)
04. कलेक्टर, जिला रतलाम म.प्र.।
05. अपर संचालक, (अराजपत्रित,) लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल मध्यप्रदेश (म.प्र.)।
06. अस्पताल अधीक्षक सह संयुक्त संचालक, डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम।
07. स्थानीय लेखा शाखा कार्यालय रतलाम की ओर भेजकर लेख है कि म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभागमंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3–13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देश अनुसार इन्हें तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्युनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायफंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
08. प्रभारी/नोडल अधिकारी/विभागाध्यक्ष समस्त शाखा/विभाग डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम।
09. सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय रतलाम की ओर सूचित करते हुए लेख है कि संबंधित कर्मचारी का स्वाथ्य परीक्षण कर रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
10. संबंधित.. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. कार्यालय आदेश नस्ती।

(डॉ. अनिता मूथा)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय चिकित्सा हाविद्यालय
रतलाम (म0प्र)

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner